

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-21/2017/332/पांच-8-2017-जी0(310)/2016  
लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप  
(शुद्धि पत्र)

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्यस सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयनित 516 चिकित्सधिकारियों को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/4083/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 01-01-2017 द्वारा नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-463 के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्सक का नाम डा0 सुभाष चन्द्र मौर्य पुत्र श्री जिलाजीत मौर्य निवासी ग्राम ऊदपुर गेल्हवा पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर के स्थान पर डा0 सुभाष चन्द्र मौर्य पुत्र श्री जिलाजीत मौर्य, ग्राम-ऊदपुर, पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर त्रुटिवश टंकित हो गया है।  
2- अतएव कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-463 के स्तम्भ-4 में अंकित डा0 सुभाष चन्द्र मौर्य पुत्र श्री जिलाजीत मौर्य, ग्राम-ऊदपुर, पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर के स्थान पर डा0 सुभाष चन्द्र मौर्य पुत्र श्री जिलाजीत मौर्य निवासी ग्राम ऊदपुर गेल्हवा पोस्ट बदलापुर जनपद जौनपुर पढ़ा जाय। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिवगोपाल सिंह  
अनु सचिव।

संख्या-21/2017/332(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- कोषाधिकारी, फैजाबाद।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
(शिवगोपाल सिंह)  
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-22/2017/333/पांच-8-2017-जी0(310)/2016  
लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि पत्र)

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्यस सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयनित 516 चिकित्सधिकारियों को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/4083/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 01-01-2017 द्वारा नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-206 के स्तम्भ-4 में उल्लिखित चिकित्सक का नाम डा0 धर्मन्द्र सिंह पौनियों के स्थान पर डा0 धमेन्द्र सिंह पौनिया त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2- अतएव कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-206 के स्तम्भ-4 में अंकित डा0 धमेन्द्र सिंह पौनियाके स्थान पर डा0 धर्मन्द्र सिंह पौनिया पढा जाय। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-01-2017 इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिवगोपाल सिंह  
अनु सचिव।

संख्या-22/2017/333 (1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- कोषाधिकारी, फैजाबाद।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-23/2017/334/पांच-8-2017-जी0(310)/2016  
लखनऊ: दिनांक 18 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि पत्र

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलौपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयनित 334 चिकित्साधिकारियों शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-101/3660/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 29-11-2016 द्वारा नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-11-2016 के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या- 198 के स्तम्भ-4 में डा0 शिवानी सिंह पुत्री डा0 एस0के0 राय के स्थान पर डा0 शिवानी सिंह पत्नी डा0 एस0के0 राय त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2- अतएव कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-11-2016 के साथ संलग्न सूची के क्रम 198 के स्तम्भ-4 में अंकित डा0 शिवानी सिंह पत्नी डा0 एस0के0 राय के स्थान पर डा0 शिवानी सिंह पुत्री डा0 एस0के0 राय पढा जाय। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-11-2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिवगोपाल सिंह  
अनु सचिव।

संख्या-23/2017/334/(1)/पांच-8-2017-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया।
- 7- कोषाधिकारी, बलिया।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- संयुक्त निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
  
(शिवगोपाल सिंह)  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।